

बाला एक कारखाना स्थापित किया जाना था और इसकी नींव भी रख दी गई थी और वहाँ गोदाम आदि का भी निर्माण हो गया था ;

(घ) क्या बाद में इसको गिरा दिया गया था और इसकी सामग्री आदि की निलामी करदी गई थी और कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था ;

(ङ) विस्फोटक पदार्थों का निर्माण करने वाले कारखाने का प्रस्ताव किन परिस्थितियों में अस्वीकृत किया गया था ; और

(च) क्या जबलपुर में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कोई नया बड़ा अथवा मध्यम उद्योग की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) जबलपुर जिले में रक्षा प्रतिष्ठानों के अलावा और भी अनेक बड़े और मझौले उद्योग हैं।

(ग) इंडो-वर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड द्वारा सिहोरा में सरकारी क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ तैयार करने के एक कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया था और राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार एक अस्थायी भंडारण शेड का निर्माण किया गया था। उसकी आधार भिला रखने के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है।

(घ) अस्थायी शेड गिरा दिया गया है और इंडो-वर्मा पेट्रोलियम कंपनी ने प्रस्तावित एकक को सिहोरा से कोरबा के विद्यमान एकक स्थल में ही ले जाना का निश्चय किया है।

(ङ) इंडो-वर्मा पेट्रोलियम का विचार कोरबा में एक मिल जुले एकक की स्थापना करने का है। लगता है कि स्थापना स्थल को बदलने का निर्णय आर्थिक एवं प्रशासकीय आधार पर किया गया है।

(च) जबलपुर जिले के पाटन में निजी क्षेत्र में 9000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमा वाली एक रोलिंग मिल की स्थापना करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

Punishment to perpetrators of rape on women

1691. SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the law dealing with punishment of perpetrators of rape on women often fails to book the offenders; and

(b) if so, whether important changes in the law need to be introduced for plugging loop-holes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) and (b) Government have received representations and letters representing that the law relating to rape has deficiencies and needs changes. It has been decided to refer to the Law Commission the question whether any changes are required in the law relating to rape or in any other aspects of the criminal law to ensure greater protection to women.

खोकराबड़ सीमावर्ती सड़क को पर्यटकों के लिए खोल देना

1692. श्री रमेशचन्द्र देव : गृह मंत्री गृह मंत्री यह बताने की वृत्ता करेंगे कि :